कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
सिंचाई प्रमंडल, जमुई।
अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं0–09/2023–24

पत्रांकः– 106 /जमुई, दिनांकः– 15/01/2024

1. विज्ञापनपदाता का पदनाम एवं पता – कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, जमुई।
2. निविदा आमंत्रण की तिथि – दिनांक–15.01.2024
3. निविदा प्रपत्र की बिक्री की तिथि – दिनांक–.22.01.2024 से 24.01.2024 तक (कार्यालय अवधि में)
4. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय – दिनांक 25..01.2024 को अपराहन 3:00 बजे तक।
5. निविदा खुलने की तिथि एवं समय – दिनांक 25.01.2024 को अपराहन 3:30 बजे।
6. निविदा प्रपत्र की बिक्री का कार्यालय – (1) कार्यपालक अभियंता, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, भागलपुर
   (2) अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, जमुई।
   (3) कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, जमुई।
7. निविदा प्राप्ति का स्थान – क्रमांक–6 में वर्णित सभी कार्यालय में।
8. वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय :– वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय की सूचना अलग से दी जाएगी।

09. कार्य की विवरणी –

ग्रुप सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रधन राशि (रू0 में)	परिमाण विपत्र का मुल्य (रू0 में) लौटाया नहीं जायगी।	कार्य पुरा करने की अवधि।	अभियुक्ति
1	2	4	5	6	7	8
1	सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत सिंचाई उपनिवेश में अवस्थित अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, जमुई के कार्यालय का विशेष मरम्मति एवं संपोषण कार्य।	9.85764	20000.00	1250.00	15 मार्च 2024	जमुई जिला अन्तर्गत श्रेणी–IV के निबंधित संवेदक।
2	सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत सिंचाई उपनिवेश में अवस्थित कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, जमुई के कार्यालय का विशेष मरम्मति एवं संपोषण कार्य (कार्यपालक अभियंता के कार्यालय कक्ष को छोड़कर)	6.99472	14000.00	1250.00	15 मार्च 2024	
3	सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत सिंचाई उपनिवेश में अवस्थित E-4 एवं E-5 आवास का विशेष मरम्मति एवं संपोषण कार्य।	8.08060	16500.00	1250.00	15 मार्च 2024	
4	सिंचाई प्रमंडल, जमुई अन्तर्गत सिंचाई उपनिवेश में अवस्थित C Type आवास का विशेष मरम्मति एवं संपोषण कार्य।	8.86591	18000.00	1250.00	15 मार्च 2024	
5	निरीक्षण भवन के सूचारू संचालन/संधारण/रख–रखाव हेतु।	3.12960	6500.00	750.00	15 मार्च 2024	

निविदा से संबंधित विस्तृत शर्त, नियम, अग्रधन का स्वरूप, निविदा की प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी के लिए परिमाण विपत्र विक्री स्थल से सम्पर्क किया जा सकता है।

15/01/24

कार्यपालक अभियंता
सिंचाई प्रमण्डल, जमुई

नियम एवं शर्तें

1. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोतरी या बढ़ोतरी हो सकती है तदनुसार अग्रधन की राशि देय होगा। अग्रधन की राशि प्राक्कलित राशि का 2% (प्रतिशत) जो 100/— रू0 के गुणक में होगा,
2. अग्रधन की राशि के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत FD (फिक्स्ड डिपोजिट) जो **कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, जमुई** के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञित हो स्वीकार किए जायेगें। निविदा सूचना निर्गत की तिथि के पूर्व प्रतिज्ञित की मान्यता नहीं दी जाएगी।
3. संवेदक को आवेदन के साथ परिमाण विपत्र का मूल्य की राष्ट्रीयकृत बैंक या अधिकृत बैंक से प्राप्त बैंक ड्राफ्ट जो **कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, जमुई** को भुगतेय हो सके, निर्धारित अवधि में उपलब्ध कराने पर निविदा प्रपत्र प्राप्त होगा। परिमाण विपत्र का मुल्य लौटाया नहीं जायेगा।
4. पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार के अधिसूचना सं0—13589 (एस), पटना, दिनांक 13.12.11 के कंडिका (4) के उप कंडिका (च) में निहित प्रावधान के अनुसार रू0 25,00,000 रू0 (पच्चीस लाख) तक के कार्यो के निविदा में श्रेणी—4 में निबंधित संवेदक ही भाग ले सकेंगे।
5. निविदादाता के प्रीक्वालिफिकेशन बीड के साथ निम्नलिखित दस्तावेज का अभिप्रमाणित छाया प्रति देना अनिवार्य हैं :—

   (क) निविदादाता का समुचित श्रेणी में निबंधित होने क प्रमाण—पत्र एवं GST निबंधन प्रमाण पत्र (स्वहस्ताक्षरित)

   (ख) निर्गत परिमाण विपत्र में अंकित अग्रधन की राशि बिहार सरकार वित्त विभाग द्वारा अनुमान्य स्वरूप में समर्पित करना अनिवार्य है।

   (ग) विभागीय पत्रांक—01/PMC/विविध/879/2012 —पार्ट 11—124 पटना, दिनांक 04.02.2021 द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में जिला पुलिस द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलंग्न करना अनिवार्य होगा।

   (घ) निम्न आशय का शपथ—पत्र (Affidavit) निविदा के साथ समर्पित करना होगा जो इस प्रकार है—

   I. यह कि मेरे विरूद्व किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

   II. यह कि मुझे किसी सरकारी/ अर्द्वसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित द्वारा (Debar, Blacklisted) अथवा विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर एकरारनामा रद्द (RESCIND) नहीं किया गया है।

   III. यह कि मेरा कोई निकटतम संबंधी (संबंधी से अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई /बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमंडल में कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।

   IV. "I the undersigned, do hereby certify that all the statement made in the required attachment are true and correct, and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishment as well as black listing".

   प्री—क्वालिफिकेशन बीड में सफलता का निर्धारण विभागीय पत्रांक—528 दिनांक—13.06.2013 के अनुरूप उपर तीनों कागजातों के साथ—साथ कुल आवंटित कार्यों की सूचना शपथ—पत्र के रूप में जाति प्रमाण—पत्र (अभिप्रमाणित) के आधार पर होगा।
6. संवेदक को लिफाफे के उपर सुस्पष्ट अपना दूरभाष संख्या तथा मोबाईल नं0 यथासंभ्व अंकित करना चाहिए ताकि निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना उन्हें ससयम दी जा सके।
7. निविदित दर परिमाण विपत्र की दर से कम उद्यृत दर वाले निविदा के लिए पथ निमार्ण विभाग, बिहार सरकार पटना के पत्रांक—448 (S) दिनांक—16.01.2020 के अनुसार एकरारनामा के समय Additional Performance Guarantee जमा करना होगा।
8. बिना कारण बताए एक या सभी निविदा को रदद् करने का अधिकार सुरक्षित है।
9. संवेदक को सभी कार्य विस्तृत परिमाण विपत्र में वर्णित शर्तों के साथ—साथ जल संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा निविदा से संबंधित सभी अद्यतन अनुदेश एवं शर्ते निविदा के लिए मान्य होगी।
10. सशर्त्त निविदा मान्य नहीं होगा।
11. सफल निविदादाता को जनकार्य प्रपत्र एफ—2 (क्लॉज 23 विलोपित) पर एकरारनामा करना होगा।
12. संदेहास्पद कार्य करने वाले एवं जिनके विरूद्व कालीकृत करने की कार्रवाई चल रही है अथवा पूर्व में आवंटित कार्य की प्रगति अगर संतोषप्रद नहीं है तो संवेदकों की निविदा मान्य नहीं होगी।
13. नियमानुसार विपत्र से GST, Seigniorage Fee एवं Labour Cess कटौती की जाएगी।

14. यदि कोई सामग्री संवेदक को लगाना है तथा वह सामग्री विभाग में उपलब्ध है तो संवेदक को सामग्री की आपूर्ति की जायेगी जिसका मूल्य विभागीय दर पर वसूल कर ली जायेगी।
15. कार्य आवंटन के पश्चात् एकरारनामा में निर्धारित अवधि के अनुरूप कार्य ससमय पूर्ण करना होगा अन्यथा अग्रधन की राशि को जब्त कर ली जायेगी। इस कार्य में कोई समय वृद्धि मान्य नहीं है। यदि किसी अपरिहार्य कारणों से निविदा खोलने या प्राप्ति की तिथि को बिहार सरकार द्वारा अवकाश धोषित हो जाय तो निविदा खोलने या प्राप्ति का कार्य अगले कार्यकारी दिवस पर की जायेगी।
16. विशेष जानकारी के लिए कार्यालय अवधि में अद्योहस्ताक्षरी से मिले या सूचना पट्ट पर देखें।
17. संवेदक को किए गए कार्य का भुगतान तभी होगा, जब सरकारी प्रतिष्ठित गुण नियंत्रण के कार्यालय से गुणवत्ता प्रमाण–पत्र प्राप्त होगा।
18. बीड में कई सफल निविदादाताओं का समान न्यूनतम निविदित दर की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
19. एकरारनामा के समय जी0एस0टी0, श्रम अनुज्ञप्ति एवं पैन कार्ड का अभिप्रमाणित प्रति समर्पित करना होगा।
20. **CWJC No-9941/2022** में पारित न्यायादेश एवं विभागीय आदेश संख्या–536, दिनांक–18.07.2023 के आलोक में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक–4439 दिनांक–17.07.2023 के अनुसार उद्धृत दर मान्य होगा।
21 जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक –01/PMC/VIVID/161/2023–205 दिनांक 20.03.2023 के निदेशानुसार जिन्हें कार्य आवंटित होगा उन्हें CBuD App (Call Before U dig App) के माध्यम से कार्य संबंधित सूचना देना होगा।
22 निविदादाता के द्वारा जो दर अंकित किया जाएगा वह सुस्पष्ट तथा अंक एवं शब्द दोनों में अंकित होगा।
23 विपत्र भुगतान पूर्व GSTR3B की प्रति देना अनिवार्य होगा

कार्यपालक अभियंता
सिंचाई प्रमण्डल, जमुई

पत्रांकः– 106/जमुई, दिनांकः– 15/01/2024

प्रतिलिपिः– सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन पटना को निविदा आमंत्रण सूचना की हिन्दी में एक प्रति (सॉफ्ट तथा हार्ड प्रतियों में) के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित। अनुरोध है कि निविदा आमंत्रण सूचना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

कार्यपालक अभियंता
सिंचाई प्रमण्डल, जमुई